



बिहार सरकार गन्ना उद्योग विभाग



बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम (2026-27)



गुड़ उत्पादन इकाइयों के लिए
किसानों/ निवेशकों से
ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।



गन्ना किसानों/निवेशकों द्वारा गुड़ इकाई
की स्थापना पर राज्य सरकार द्वारा

प्रतिदिन पेराई क्षमता वाली इकाइयों को
उनकी पूंजी लागत का 50% तक अनुदान
का प्रावधान है।

05 - 20 टन
प्रतिदिन पेराई क्षमता
अधिकतम
₹6 लाख

21 - 40 टन
प्रतिदिन पेराई क्षमता
अधिकतम
₹15 लाख

41 - 60 टन
प्रतिदिन पेराई क्षमता
अधिकतम
₹45 लाख

60 टन से अधिक
प्रतिदिन पेराई क्षमता
अधिकतम
₹1 करोड़



नोट:- योजना में आवेदन करने से पूर्व किसानों/निवेशकों के पास गुड़ लाइसेंस का होना अनिवार्य होगा।

आवेदन हेतु  <https://ccs.bihar.gov.in> पर जाएं।



0612-2215788

09:30AM - 06:00PM (सभी कार्य दिवस)



अधिक जानकारी हेतु अपने जिले के संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास / ईख पदाधिकारी से संपर्क करें।